यह निरीक्षण आख्या कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (निर्माण इकाई), देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (निर्माण इकाई), देहरादून के अवधि 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा–अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 22.07.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रीमती हिना सलीम, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 22.07.2014 से 02.08.2014 तक श्री डी.एन. मिश्रा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(आ) वर्तमान में माह 04/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। इस इकाई के अंतर्गत Deposit Work से कार्य किया जाता है।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

नाम	पदनाम	अवधि
1. श्री ई. अमर ज्योति प्रकाश डोबीयाल	परियोजना प्रबन्धक	04/2014 से 07/2014 तक
2. श्री ई.सी.एस. रजवार	परियोजना प्रबन्धक	08/2014 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
31/2009–10	शून्य	2, 3
11/2011–12	1	1, 2

(स). सतत् अनियमिततायें – शून्य

(द). अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष**	
		2014–15	**2015–16**
1	आरंभिक अवशेष	1705.11	1645.60
2	वर्ष में कुल प्राप्तियां (1) केंद्रान्श (2) राज्यांश (3) अन्य स्रोतों से	2428.01	2247.20
3	कुल योग (1+2)	4133.12	3892.80
4	वर्ष के दौरान कुल व्यय (1) केद्रांश (2) राज्यांश	2372.03 115.49	2375.98 110.73
5	अंतिम अवशेष (3–4))	1645.60	1406.09

भाग -II (ब)

प्रस्तर 1 :- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण विभाग द्वारा ` 448.13 लाख व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 27.03.2006 द्वारा उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम हेतु भवन निर्माण योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहारादून के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ` 486.00 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी० ए० सी० द्वारा परीक्षणोप्रान्त संस्तुत धनराशि ` 465.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रादन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे ` 65.80 लाख की धनराशि 12 अंतर्निहित शर्तो के अधीन अवमुक्त किया गया था।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन उत्तरांचल पेयजल निर्माण निगम शाखा-I इन्दिरा नगर देहारादून द्वारा तैयार किया गया था

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्द्योग बोर्ड द्वारा भूगर्भीय जांच एवं रिपोर्ट अनुकूल प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की शर्त पर, उक्त राशि मे से ` 45.80 लाख की धनराशि दिनांक 22.06.2006 को निर्माण एजेन्सी परियोजना प्रबन्धक निर्माण शाखा उत्तरांचल पेयजल निगम देहारादून को भूअभिलेखों के साथ निर्गत किया गया था। प्रथम किस्त की शेष राशि रुपए 20 लाख दिनांक 22.12.2006 को कार्यदायी संस्था को निर्गत किया गया था। इस प्रकार मार्च 2006 से अप्रैल 2008 तक शासन द्वारा समस्त धनराशि ` 465.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका था ।

परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के डिपॉज़िट निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य work order के माध्यम से विभाग द्वारा किया जा रहा था और जनवरी 2007 तक ` 65.80 लाख की धन राशि व्यय करते हुए 14% भौतिक प्रगति कर लिया था, जून 2010 तक मुख्य भवन 100% 22 आवास (टाइप III 04 नग टाइप II के 14 नग टाइप I के 04 नग) कार्य पूर्ण कर लिया गया था परंतु टाइप IV के 07 और टाइप V का 01 आवास का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था और दिनांक 11.06.2010 को ग्राहक विभाग को हस्तगत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था । तत्पश्चात विभाग ने समस्त कार्यों के सापेक्ष मूल रूप से स्वीकृत लागत मे ` 261.32 लाख की वृद्धि करते हुए, ` 726.32 लाख का पुनरीक्षित आगणन ग्राहक विभाग को प्रेषित किया (मार्च

2011) जिसका भी कोई आधार नहीं था क्योंकि केवल टाइप IV के 07 और टाइप V का 01 आवास का कार्य किया जाना शेष था। विभाग ने अपने पत्र दिनांक 28.3.2011 द्वारा स्पष्टीकरण पत्र मे लागत वृद्धि का निम्न कारण बताया। भूमि विलम्ब से प्राप्त होना ii. भवन की नीव तथा संरचना को भविष्य मे एक अतिरिक्त तल तक विस्तार हेतु डिजाइन III. भूमि असमतल तथा अधोतल होने के कारण नीव की गहराई अधिक होना इत्यादि। विभाग का तर्क औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि ग्राहक विभाग द्वारा भूमि अप्रैल 2006 मे ही उपलब्ध करा दी गयी थी तथा जहां तक भूमि के असमतल होने का प्रश्न है इस संबंध मे मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के पत्रांक 2091/सामान्य/157 दिनांक 14.08.2007 के अनुसार भूमि की उपलबद्धतता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही भूमि की स्थिति के अनुसार ही प्रारम्भिक आगणन अग्रसारित किया जाना चाहिये जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।

इस संबंध मे विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि प्रशनगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी इस कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति पुनरीक्षित आगणन प्रेषित करने के उपरान्त, निर्माण कार्य पूर्ण होने / सम्पूर्ण राशि ` 465 लाख व्यय होने के बाद दिनांक 01.10.2011 को प्राप्त किया गया था जो कि गंभीर अनियमितता थी। चूंकि यह कार्य work order के माध्यम से विभिन्न टुकड़ों मे विभक्त कर कराया गया था इसलिए स्पष्ट नहीं था कि उक्त कार्य पर मजदूरी मद मे और सामग्री मद मे कितनी राशि का व्यय हुआ था। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त भवन संप्रेक्षा तिथि तक (जुलाई 2016) ग्राहक विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ था, ग्राहक विभाग ने भवन इसलिए कब्जे मे नहीं किया था की भवन अपूर्ण था व किया गया कार्य भी त्रुटिपूर्ण था और इस पर मार्च 2015 तक व्यय किया जाता रहा था तथा पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि तक अप्राप्त थी ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य मे विभागीय नियमो एवं प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया और तकनीकी स्वीकृति के बिना ही निर्माण कार्य संपादित कराया गया और ` 465 लाख की धनराशि व्यय के पश्चात भी टाइप V का 01 और टाइप IV 07 भवन निर्माण कार्य स्वीकृति तिथि के 10 वर्ष बाद भी प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राहक विभाग की न केवल निर्माण कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त थी, अपितु उक्त आवासों से प्राप्त होने वाले राजस्व से भी शासन/ ग्राहक विभाग वंचित रहा जो कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि भूमि के डिमार्केशन हेतु इकाई द्वारा ग्राहक विभाग से अनुरोध किए जाने के पश्चात भूमि की पैमाइश माह 05/2006 में की गयी जिस कारण प्रारम्भिक आगणन में बाढ़ सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए जा सके जिसके

लिए पृथक आगणन ` 32.18 लाख का बनाया गया। निर्माण कार्य वर्ष 2006 के अन्त में प्रारम्भ हो पाया जबकि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि अप्रैल 2006 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि फरवरी 2008 थी। किन्तु समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ। मुख्य भवन एंव 22 नग आवासों का निर्माण कार्य वर्ष 2010 पूर्ण कर लिए गए थे तथा ग्राहक विभाग को उपयोग हेतु सौंप दिये गए थे कुछ बाहरी कार्य विलम्ब तक किए गए तथा पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य निर्माणाधीन अवस्था में है । टाइप IV एवं टाइप V के आवासों का निर्माण फिलहाल स्थगित रखा गया और निर्माण कार्य पर कुल ` 448.13 लाख का व्यय किया जा चुका है। पुनरीक्षित आगणन शासन से स्वीकृत न होने का कारण क्लाइंट विभाग द्वारा टाइप IV एवं टाइप V के आवासों का निर्माण स्थगित रखे जाने के निर्णय के कारण पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति पुनरीक्षित आगणन प्रेषित करने के उपरान्त, निर्माण कार्य पूर्ण होने / सम्पूर्ण राशि ` 465 लाख व्यय होने के बाद अक्टूबर 2011 को प्राप्त किया गया था जो कि गंभीर अनियमितता थी। उक्त भवन संप्रेक्षा तिथि तक (जुलाई 2016) ग्राहक विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ था, ग्राहक विभाग ने भवन इसलिए कब्जे मे नहीं किया था की भवन अपूर्ण था व किया गया कार्य भी त्रुटिपूर्ण था और इस पर मार्च 2015 तक व्यय किया जाता रहा था जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा वर्ष 2010 में पूर्ण कर लिए जाने पर भी ग्राहक विभाग को भवन हस्तांतरित नहीं किया जा सका तथा पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि तक अप्राप्त थी। टाइप V का 01 और टाइप IV 07 भवन निर्माण कार्य स्वीकृति तिथि के 10 वर्ष बाद भी प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राहक विभाग की न केवल निर्माण कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त थी। अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव के कारण विभाग द्वारा ` 448.13 लाख व्यय करने के पश्चात निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2 :- शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नियमो एवं प्राविधानों के इतर ` 743.45 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 27.03.2014 द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विशेष आयोजनागत सहायता योजना (ए0 एस0 पी0) के अन्तर्गत जनपद देहारादून मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) सर्वे चौक, देहारादून के नवीन भवन के दाहिनी ओर रिक्त पड़ी भूमि, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है पर इन्दिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु परीक्षणोप्रांत संस्तुत कुल लागत ` 953.21 लाख (सिविल कार्यों हेतु ` 724.59 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ` 228.62 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास निर्माण निगम, देहारादून को उक्त छात्रावास निर्माण हेतु प्रथम किस्त ` 405.00 लाख की धनराशि विभिन्न अंतर्निहित शर्तो के अधीन अवमुक्त किया गया था। जिसमे निहित था कि i. प्रस्तावित सभी कार्यों को एक प्रोजेक्ट के रूप मे करते हुए प्रत्येक दशा मे 24 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा, किसी भी स्थिति मे पुनः पुनरीक्षित आगणन तथा नए कार्यों को प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। ii. एम० ओ० यू हस्ताक्षरित करा कर समय सारणी के अनुरूप उकतानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए और निर्माण का गहन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। iii. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए इत्यादि। छात्रावास भवन 144 शैय्या उक्त चार तल का 16 स्टाफ/कर्मचारियों के आवास सहित बनाया जाना था ।

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु ग्राहक विभाग और निर्माण एजेंसी के मध्य दिनांक 13.03.2014 को एक एम० यू० गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15.06.2014 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 15.04.2016 तथा हस्तगत कराने की तिथि 15.06.2016 निर्धारित थी , निर्माण कार्य मे विलंब की स्थिति मे 0.1% प्रति माह (तीन माह के विलम्ब की स्थिति मे) उसके बाद 0.25 % प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय प्रतिशत प्रभार से की जाएगी।

शासनादेश दिनांक 13.03.2015 द्वारा द्वितीय किस्त ` 378.33 लाख, शासनादेश संख्या अपठित दिनांक 10.02.2016 द्वारा ` 100 लाख, शासनादेश संख्या अपठित दिनांक 09.05.2016 द्वारा अंतिम किस्त ` 69.88 लाख की धनराशि (कुल ` 953.21 लाख) अवमुक्त किया गया था।

परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य का शिलान्यास दिनांक 12.10.2013 को ही कर दिया गया था तथा ग्राहक विभाग द्वारा ट्रेजरी चेक 208069 दिनांक 26.03.2014 प्रथम किस्त की राशि ` 405 लाख दिनांक 28.03.2014 को निर्माण एजेंसी को प्राप्त करा दिया गया था इकाई द्वारा दिनांक 18.06.2014 को E- निविदा आमंत्रित की गयी थी pre -Bid Conference की तिथि 23.06.2014 निविदा प्रस्तुत करने कि तिथि 27.06.2014 एवं निविदा खोलने कि तिथि 28.06.2014 निर्धारित थी, उक्त निविदा मे मात्र एक निविदा मैसर्स शिव कुमार अग्रवाल, जी० एम० एस० रोड की प्राप्त हुई थी जिसे ` 8,35,53,012.00 की स्वीकृत करते हुए दिनांक 19.07.2014 को कार्य आदेश जारी किया गया तथा दिनांक 26.07.2014 अनुबंध संख्या 03/G.M./2014-15 dated 26.07.2014 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ होने कि तिथि 28.07.2014 और पूर्ण होने कि तिथि 27.05.2016 निर्धारित थी।

कार्य प्रारम्भ होने के दो माह बाद ही ` 1331.30 लाख का तथा उसके दो माह बाद पुनः `1387.90 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया था, जिसमे एक अतिरिक्त तल हेतु ` 106.21 लाख, अतिरिक्त तल के फर्नीचर हेतु ` 66.85 लाख, ट्यूबवेल हेतु ` 25 लाख का प्रविधान करते हुए, एस० ओ० आर० 2014 के आधार पर पुनरीक्षित आगणन तैयार किया गया बताया गया था, पांचवे तल के निर्माण हेतु शासन अथवा ग्राहक विभाग से कोई लिखित आदेश/ निर्देश जारी नहीं किया गया था।

जांच मे पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य जुलाई 2014 मे प्रारम्भ हो गया था परन्तु स्ट्रक्चर ड्राइंग एवं डिजाइन सितंबर तक तैयार नहीं हुई थी, तथा मार्च 2015 तक ` 573.149 लाख की धनराशि व्यय करते हुए, सभी तलों की छत डाली जा चुकी थी उसके बाद दिनांक 18.05.2015 को प्रमुख सचिव महोदया द्वारा एक तल कम करते हुए पुनरीक्षित आगणन प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया था ।

इस संबंध मे विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि प्रशनगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ड्राइंग डिजाइन तैयार नहीं हुई थी और ड्राइंग डिजाइन के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी इस कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति पुनरीक्षित आगणन प्रेषित करने के उपरान्त, समस्त कार्य पूर्ण होने बाद दिनांक 17.06.2015 को प्राप्त किया गया था जो कि गंभीर अनियमितता थी। आगे जांच मे पाया गया कि

निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 12.10.2015 को पुनः तीसरी बार ` 1402.21 लाख का पुरीक्षित आगणन, मूल लागत से ` 449.00 लाख अतिरिक्त राशि का प्राविधान (एक अतिरिक्त तल हेतु भवन के नीव मे किए गए अतिरिक्त कार्यों पर व्यय हेतु ` 93 लाख, ट्यूबवेल हेतु ` 26.30 लाख पंचम तल हेतु ` 137.40 लाख फर्नीशिंग कार्यों के लिए ` 75 लाख मूल आगणन मे SOR 2014-15 मे दरो मे वृद्धि के कारण 117.30 लाख कुल ` 449.00 लाख) करते हुए, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति संप्रेक्षा तिथि (जुलाई 2016) तक अप्राप्त थी तथा जून 2016 तक ` 743.445 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 75% के भौतिक प्रगति प्राप्त किया गया था, जबकि निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (15.06.2016) समाप्त हो चुकी थी ।

प्राक्कलन तथा अनुबंध से संबन्धित अभिलेखों मे पाया गया कि स्वीकृत प्राक्कलन ` 953.21 लाख मे ` 10 लाख विद्युत संयोजन के लिए, सैंटेज के लिए ` 69.86 लाख तथा शेष राशि ` 873.35 लाख की राशि कार्य हेतु बचती है जबकि समस्त कार्य हेतु मात्र ` 835.53 लाख का अनुबंध किया गया था जो कि वर्ष 2014-15 के एस ओ आर से भी अधिक था। उक्त राशि के व्यय के बाद भी निर्माण एजेंसी के पास ` 37.82 लाख (` 873.35 लाख - ` 835.53 लाख = ` 37.82 लाख) की राशि शेष रहती है जबकि आकस्मिक हेतु मात्र ` 25.80 लाख का प्राविधान था इस प्रकार समस्त कार्य हेतु राशि की फांट के उपरान्त भी निर्माण एजेंसी के पास ` 12.02 लाख की राशि शेष रहती है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य मे विभागीय नियमो एवं प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए मात्र एक निविदा प्राप्त होने पर भी उक्त निविदा को स्वीकृत दरों से अधिक दर पर स्वीकृत कर लिया गया और तकनीकी स्वीकृति के बिना ही और स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश मे निहित शर्तो का उलंघन करते हुए, सम्पूर्ण राशि यथा समय प्राप्त होने के उपरांत भी प्रस्तावित निर्माण कार्य यथा समय पूर्ण नहीं किया गया जिससे निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति न केवल अप्राप्त थी अपितु शासनादेश का उल्लंघन और विभागीय उदासीनता का परिचायक था। शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नियमो एवं प्राविधानों के इतर ` 743.45 लाख का अनियमित व्यय किया गया था ।

उक्त के सम्बंध इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि कार्य का विस्तृत आगणन माह 11/2013 में तैयार किया गया था कार्य का प्रारम्भिक प्राक्कलन प्रेषित नहीं किया गया। निर्माण कार्य का आगणन लो॰ नि॰ वि॰ की वर्ष 2013 की दरों पर गठित किया गया था जिस पर माह मार्च 2014 में स्वीकृति प्राप्त हुई है, ई निविदा में एक निविदा प्राप्त हुई। वर्ष 2014 बाजार दरों में वृद्धि के कारण लो॰ नि॰ वि॰ द्वारा 2014 हेतु दरें स्वीकृत की गयी, इसके कारण अधिक दरें प्राप्त हुई हैं। भवन पाँच तलों हेतु स्वीकृत है एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमुख सचिव

महिला कल्याण द्वारा मौखिक रूप से निर्देश दिये गए कि भवन में एक अतिरिक्त तल हेतु नीव तैयार की जाए। उक्त कार्य को पूर्ण करने की तिथि 06/2016 थी तथा कार्य की वर्तमान भौतिक प्रगति 75% है कार्य पर इस इकाई द्वारा ` 743.45 लाख व्यय किया जा चुका है। अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु ` 418.59 लाख की आवश्यकता है। पुनरीक्षित आगणन शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है, स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा कर उपयोगी बनाया जायेगा ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य तथा एक अतिरिक्त तल की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही करवाये गए। विभाग द्वारा एकल निविदा स्वीकृत करते हुये अनुबंध किया गया था जो की वर्ष 2014-15 के एस ओ आर से भी अधिक था। सम्पूर्ण राशि यथा समय प्राप्त होने के उपरांत भी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया गया। जिससे निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति न केवल अप्राप्त थी, अपितु शासनादेश का उल्लंघन और विभागीय उदासीनता का परिचायक था। विभाग द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए नियमो एवं प्राविधानों के इतर ` 743.45 लाख का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 25.77 लाख का अनियमित अतिरिक्त व्यय, व्यावर्तन एवं हानि (Loss)।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (FHB) Vol.-VI का पैरा–580 प्रावधानित करता है कि निक्षेप कार्यों को पूर्ण करने में प्राप्त धनराशि से ज्यादा का व्यय नहीं किया जा सकता है। परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून के संप्रेक्षा अवधि के अभिलेखों एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न निर्माण कार्यों में उपलब्ध धनराशि से ज्यादा व्यय सम्बन्धित विभाग की अनुमति के बिना ही किया गया था। इस प्रकार के कार्यों का विवरण निम्नवत् था–

सारणी–1

(` लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	सम्बन्धित विभाग का नाम	मूल स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत (` लाख में)	वि./यॉ. कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि (` लाख में)	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	सकल प्रगति	कुल व्यय (` लाख में)	वि./यॉ. इकाई को दी गयी धनराशि (` लाख में)	अतिरिक्त व्यय
1	रेशम निदेशालय, प्रेमनगर देहरादून में सिल्क पार्क निर्माण कार्य	रेशम विभाग	244.000	––	244.000	10/07	12/09	100%	249.385	0.000	–5.385
2	भू–तत्व, खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड के अनावसीय भवनों का निर्माण	उद्योग विभाग	703.120	––	703.120	01/07	03/13 06/13	100%	704.347	4.000	–1.227
3	चालक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों व ड्राइविंग रेंज का निर्माण	परिवहन विभाग	488.430	––	468.530	05/06	12/09	100%	487.692	0.000	–19.162
				योग	**1415.65**				**1441.424**		**–25.774**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त तीनों निर्माण कार्यों पर शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि ` 1415.65 लाख के सापेक्ष ` 1441.42 लाख व्यय किया गया था। यह उपलब्ध धनराशि से ` 25.77 लाख ज्यादा था।

संप्रेक्षा द्वारा रेशम विभाग, उद्योग विभाग एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों का विस्तृत रूप से case-on-case आधार पर जांच किया गया।

रेशम निदेशालय के सिल्क पार्क (प्रेमनगर) के निर्माण में वर्ष 2009 के दिसंबर एवं 2010 के जनवरी, फरवरी व मार्च माहों के मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्टों एवं विभागीय अभिलेखों से विदित्त होता है कि दिसंबर 2009 में ` 224.5 लाख के खर्च पर सिल्क पार्क निर्माण का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका था।

इसके बाद, जनवरी 2010 से ` 228.64 लाख, फरवरी 2010 में ` 229.06 लाख एवं मार्च 2010 में ` 223.83 लाख का व्यय दर्शाया गया है। वर्तमान में जून, 2016 की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में पुनरीक्षित आगणन ` 244 लाख के सापेक्ष सकल व्यय ` 249.36 लाख दर्शाया गया है।

सिल्क पार्क में स्वीकृत प्राक्कलन से अतिरिक्त कराये गए कार्य के अनुमोदन हेतु इकाई द्वारा पत्रांक 1914/530/03 दिनांक 25.12.2012 के माध्यम से शासन से अनुरोध किया गया था। इस पत्र के उत्तर में शासन द्वारा अपने पत्रांक 1948/रेशम/सिल्क पार्क/2012–13 दिनांक 11.02.2013 के माध्यम से इकाई को अगवत कराया कि हस्तान्तरण प्रपत्र में इस राशि का उल्लेख नहीं होने, और प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण इकाई के पत्र पर विचार किया जाना संभव नहीं है। साथ ही शासन ने अपने पत्रांक 908/रेशम/फेड./सिल्क पार्क/2013–14 दिनांक 27 अप्रैल 2013 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उक्त व्यय को ब्याज की धनराशि से भारित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकरण के संबंध में महाप्रबंधक (गढ़वाल) द्वारा पत्रांक 3588/रेशम फार्म/02 दिनांक 30.08.2014 के द्वारा इकाई से पूछा गया था कि उक्त निर्माण पर ब्ययाधिक्य ` 5.39 लाख किस अधिकार से तथा किसी स्वीकृति से किया गया था? इसके उत्तर में इकाई द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक 1474/रेशम विभाग दिनांक 25.09.2014 के माध्यम से दिया गया। इकाई ने बताया कि उक्त कार्य मौखिक अनुरोध पर किया गया था और निर्माण कार्यों को माह जनवरी 2010 में हस्तगत किया गया

था। अतः यह स्पष्ट होता हे कि व्ययाधिक्य केवल मौखिक अनुरोध पर, सम्बन्धित विभाग एवं शासन की अनुमति के बिना किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ` 5.39 लाख के अतिरिक्त व्यय को इकाई द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं प्रतीत होता है। संप्रेक्षा द्वारा अतिरिक्त व्यय के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि ` 5.39 लाख के अतिरिक्त व्यय को ब्याज की धनराशि से व्यय किया गया था और यह प्रत्याशा थी कि अतिरिक्त व्यय हेतु स्वीकृति एवं धन आवंटन हो जायेगा। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त व्यय हेतु सम्बन्धित विभाग एवं उच्चाधिकारियों से पूर्व में अनुमति नहीं लिया गया था। इकाई ने अपने उत्तर में यह भी बतलाया कि उक्त कार्य तत्कालीन रेशम निदेशक के मौखिक आश्वासन पर किया गया था। जबकि जांच में पाया गया कि इस तरह कि बात से निदेशालय ने इंकार कर दिया था। अतः इकाई द्वारा शासन को लिखे गये पत्रांक 1474/रेशम विभाग दिनांक 25.09.2014 के अनुसार मौखिक आश्वासन पर ` 5.39 लाख का अतिरिक्त व्यय किया जो कि पूर्णतः वित्तीय नियमों के विपरीत था।

साथ ही सामान्य वित्तीय नियम (GFR)–2005 के नियम संख्या–37 के अनुसार सरकार को धोखाधड़ी/लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो इसके लिए किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाएगा और नियम संख्या–38 के अनुसार हानि का प्रकरण संज्ञान में आते ही इसके क्षतिपूर्ति हेतु त्वारित कार्यवाही किया जाएगा और नियंत्रण की व्यवस्था (Control system) को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इन नियमों के अनुरूप पत्रांक 585/रेशम विभाग/06 के माध्यम से शासन द्वारा सिल्क पार्क प्रेम नगर, देहरादून के निर्माण कार्यों पर व्ययाधिक्य की अवधि में कार्यरत यूनिट लेखाकार का नाम पूछा था। इसके उत्तर में इकाई ने पत्रांक 2019/रेशम विभाग, दिनांक 12.12.2014 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त अवधि में कार्यरत यूनिट लेखाकार सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस पत्राचार से संप्रेक्षा द्वारा उठाए गए तथ्यों की आधिकाधिक पुष्टि होती है।

उद्योग विभाग के अनावसीय भवनों के निर्माण कार्य में हुए ` 1.23 लाख के व्ययाधिक्य का कारण विभाग ने सेंटेंज अधिक लगना बतलाया है। सामान्य वित्तीय नियम (GFR)–2005 के नियम–118 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद इकाई द्वारा इस व्ययाधिक्य को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण यह विभागीय हानि है।

चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा से सम्बन्धित अभिलेखों की विस्तृत लेखापरीक्षा जांच में पत्रांक 951/धनावंटन/41 दिनांक 28.03.2009 से विदित होता है कि चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा के

भवनों व ड्राइविंग रेंज के निर्माण हेतु ग्राहक विभाग द्वारा 468.53 लाख का धनराशि (सेंटेज सहित) अवमुक्त किया गया था।

ग्राहक विभाग द्वारा पत्रांक 1349/नियोजन/नि. कार्य/2009 दिनांक 29 मई 2009 के माध्यम से विलंब से कार्य किए जाने पर रोष जतलाया गया। ग्राहक विभाग ने साथ ही यह भी कहा कि कार्य को पूर्ण करने हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष संपूर्ण धनराशि पूर्व में ही इकाई को आवंटित किया जा चुका था। विभाग द्वारा इकाई को उक्त कार्य वर्ष 2006 में आवंटित किया गया था, और कार्य को पूर्ण करने की तिथि 30.06.2009 थी। परन्तु चालक प्रशिक्षण संस्थान झाझरा का निर्माण कार्य जुलाई 2010 में पूर्ण हुआ था (एमपीआर जुलाई 2010)।

पत्रांक 1926/नियोजन/एक–41/2009 दिनांक 24 जुलाई 2009 के माध्यम से ग्राहक विभाग (परिवहन विभाग) ने केन्द्र सरकार से ` 20 लाख अवमुक्त करने हेतु निवेदन किया था।

इसके बाद इकाई ने ग्राहक विभाग से पत्रांक 1849/550/20 दिनांक 18.12.2009, पत्रांक 795/550/03 दिनांक 18.05.2010, पत्रांक 1241/550/06 दिनांक 30.07.2010, संख्या–463/नियोजन/6–25/2011 दिनांक 07 फरवरी 2012, पत्रांक 1350/550/19 दिनांक 27.08.2012, पत्रांक 372/चालक प्रशिक्षण केन्द्र झाझरा/02 दिनांक 05/03/2013, पत्रांक 1885/चालक प्रशिक्षण केन्द्र झाझरा/05 दिनांक 21.11.2013, पत्रांक 1832/उपयोगिता प्रमाण पत्र/13 दिनांक 12.11.2013, पत्रांक 1754/चालक प्रशिक्षण केन्द्र झाझरा दिनांक 12.11.2014, पत्रांक 1431/चालक प्रशिखण केन्द्र झाझरा दिनांक 20.09.2014 इत्यादि के माध्यम से ` 19.9 लाख के अतिरिक्त व्यय को प्राप्त करने का प्रयास किया था। वर्तमान में 7 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद इस धनराशि को इकाई द्वारा (प्रक्रियागत कमियों यथा विभागीय अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि नहीं होने के कारण) व्यय किए गए अतिरिक्त धनराशि को प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं दिखता है।

संप्रेक्षा द्वारा इकाई से ` 19.9 लाख के अतिरिक्त व्यय के स्रोत के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय से ` 12.75 लाख, ठेकेदारों की जमानती धनरशि से ` 4.72 लाख एवं विभागीय सेंटेंज से ` 2.18 लाख से 'इंटरवर्क' कर के अतिरिक्त व्यय को वहन किया गया था, जो को पूर्णतः वित्तीय हस्तपुस्तिका (FHB) Vol.-VI के पैरा–580 के प्रावधान के विपरीत था। इस प्रकार विभाग ने ` 19.9 लाख का व्यावर्तन (Diversion) किया है। सामान्य

वित्तीय नियम (GFR)–2005 के नियम–118 के अनुसार किसी भी वित्तीय दावेदारी का, सामान्यतः लेन–देन के उसी वर्ष में या अधिकतम 3 वर्ष के अंदर, समाधान कर लेना चाहिए। तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर किसी भी दावेदारी को कालातीत (Lapsed) मानने का प्रावधान है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजकीय वित्तीय नियमों के प्रकाश में प्रक्रियागत कमियों के कारण कार्य पूर्ण होने के सात वर्ष पश्चात अनियमित रूप से व्यावर्तित अतिरिक्त व्यय को प्राप्त करना संभव (Feasible) नहीं है। अतः ` 19.9 लाख भी विभागीय हानि (Loss) है।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों निर्माण कार्यों में इकाई द्वारा व्यावर्तित कर ` 25.77 लाख के अनियमित अतिरिक्त व्यय एवं हानि के प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 4 :- ` 59.60 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून में क्लाइंट विभाग से प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को क्लाइंट विभाग को वापस करने का प्राविधान है या क्लाइंट विभाग से उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग क्लाइंट विभाग से की जानी चाहिये ।

कार्यालय उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक अर्जित ब्याज की राशि ` 5960430.00 पेयजल निगम के पास अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी, जिसका विवरण निम्नवत है

क्र॰ सं॰	निर्माण कार्य का नाम	ब्याज की धनराशि
1	होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य	677809.00
2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विकास भवन में सरस विपणन केन्द्र का निर्माण	3685.00
3	मत्स्य विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	139831.00
4	आई0आर0बी0–II दे0 दून के (प्रथम चरण) के मैकेनिकल ट्रान्सपोर्ट कार्यालय का निर्माण	64755.00
5	''संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ, देहरादून'' (आई0आर0डी0 टी0 सेल)	187964.00
6	पुलिस लाईन चम्बा में आवासीय भवनों का निर्माण	19243.00
7	जनपद देहरादून में पुलिस चौकी बार्लोगंज में अनावासीय भवन का निर्माण कार्य	141799.00
8	देहरादून में पुलिस चौकी बिन्दाल पुल, चकराता रोड़ अनावासीय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	266706.00
9	पुलिस चौकी लक्ष्मण चौक में अनावासीय एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य	137155.00
10	रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में 300 व्यक्तियों हेतु बैरक का निर्माण कार्य (पार्ट–1)	697268.00
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत, **Construction of Aroma Processing Center (A.P.C.) at Center for Arometic Plants (CAP) Selaqui, Dehradun**	223795.00
12	भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य	32717.00
13	परेड ग्राउन्ड, देहरादून में विभिन्न क्रीड़ात्मक गतिविधियों के विकास कार्य	1591359.00
14	इन्दिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास, देहरादून का निर्माण कार्य	1444429.00
15	रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में बैरक का निर्माण कार्य (पार्ट–2)	331915.00
योग		**5960430.00**

संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण वर्ष 2015-16 तक कुल ` 59.60 लाख की धनराशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध पड़ी हुई है न तो ये राशि

क्लाइंट विभाग को वापस की गयी और न ही योजनाओ पर व्यय की गयी, जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी अपितु विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाता है। अर्जित ब्याज का मिलान बैंक के लेखों से किया जा रहा है मिलान के पश्चात उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने हेतु ग्राहक विभाग को लौटा दी जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने हेतु ग्राहक विभाग को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा ` 59.60 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 5 : निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी सम्बन्धित विभागों को ` 376.07 लाख की अवशेष धनराशि को नहीं लौटाया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol.-VI का पैरा–634 निक्षेप कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत अव्ययित धनराशि को सम्बन्धित विभागों को लौटाने हेतु प्रावधानित करता है।

परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून के संप्रेक्षा अवधि के मासिक प्रगति रिपोर्ट के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभिन्न विभागों के 13 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत भी इकाई के पास ` 376.07 लाख की धनराशि अवशेष थी। इन देनदारियों का विवरण निम्न सारणी मे दर्शाया गया है–

सारणी–1

(` लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	सम्बन्धित विभाग	मूल स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत	अवमुक्त धनराशि	परियोजना को पूर्ण करने में कुल व्यय	कार्यान्त में अवशेष धनराशि
1	पुलिस मुख्यालय, देहरादून के आवासीय भवनों का निर्माण।	पुलिस विभाग	407.570	407.570	388.881	18.689
2	जनजाति कल्याण निदेशालय का निर्माण कार्य।	समाज कल्याण विभाग	327.560	327.560	279.120	48.440
3	ग्राम बद्रीपुर मेदनीपुर में आदिम जनजाति के सामुदायिक भवन का निर्माण।	समाज कल्याण विभाग	49.830	49.830	46.841	2.989
4	डा. भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल, मयूर विहार, देहरादून के मरम्मत कार्य।	समाज कल्याण विभाग	3.000	3.000	0.000	3.000
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला, देहरादून में मरम्मत कार्य (भाग–2)।	समाज कल्याण विभाग	4.930	4.930	0.000	4.930
6	परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	परिवहन विभाग	481.200	481.200	465.819	15.381
7	खादी वं ग्रामोद्योग बोर्ड के भवनों का निर्माण कार्य।	उद्योग विभाग	465.000	465.000	447.808	17.192
8	हरबर्टपुर में पशुचिकित्सालय का निर्माण कार्य।	पशुपालन विभाग	35.25 157.92	157.920	104.137	53.783
9	परेड ग्राउन्ड, देहरादून में लॉन टेनिस, बॉलीबाल एवं बास्केट बॉल कोर्ट का निर्माण कार्य।	खेल विभाग	49.450	49.450	45.713	3.737
10	परेड ग्राउण्ड, देहरादून में विभिन्न क्रीड़ात्मक गतिविधियों के विकास कार्य।	खेल विभाग	491.380	491.380	449.353	42.027
11	होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य।	हो.गा. एवं ना. सुरक्षा	133.420	132.530	118.729	13.201
12	होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय के प्रथम तममल के निर्माण कार्य।	हो.गा. एवं ना. सुरक्षा	43.090	43.000	40.760	2.240
13	''संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ, देहरादून'' (आई.आर.डी. टी. सेल)	तकनीकी शिक्षा	1485.780	1459.270	1255.801	203.469

		योग		4072.64	3642.96	429.68

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विभागों के 13 कार्यों को पूर्ण करने में अवमुक्त धनराशि ` 4072.64 लाख के सापेक्ष ` 3642.96 लाख का व्यय हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत ` 429.68 लाख की धनराशि अवशेष थी।

वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol.-VI का पैरा–634 के नियमानुसार 429.68 लाख की अवशेष धनराशि सम्बन्धित विभागों को अविलंब लौट दिया जाना चाहिए था।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि माह जून 2016 तक ` 53.61 लाख सम्बन्धित विभागों को लौटाया जा चुका है। इकाई के उत्तर के प्रकाश में अभी भी ` 376.07 लाख की देनदारी बनी हुई है। विभाग ने अपने उत्तर में बतलाया कि उपरोक्त अवशेष धनराशि पर प्राप्त ब्याज ` 30.85 लाख सम्बन्धित विभागों को लौटाया जा चुका है।

इस प्रकार कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी वित्तीय नियम के विपरीत ` 376.07 लाख सम्बन्धित विभागों को नहीं लौटाए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (निर्माण इकाई), देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की

गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र